सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः– **श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः **2017/30** दायर दिनांक **10.02.2017**

वादी		प्रतिवादीगण
1. कानाराम पुत्र मुकनाराम, जाति–गुर्जर, निवासी–डीडवाना, जिला–नागौर (राजस्थान)	बनाम्	1. लूणाराम पुत्र श्री जंवाराराम 2. बाबूलाल पुत्र पूर्णाराम 3. चम्पा पुत्री पूर्णाराम 4. धन्नीदेवी पुत्री पूर्णाराम 5. सोहनीदेवी पत्नी तारूराम 6. मंजू पुत्री तारूराम 7. नरसी पुत्र तारूराम 8. मदनी पुत्री तारूराम समस्त जाति–गुर्जर, निवासी–गुर्जरों का बास, डीडवाना। 9. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार, डीडवाना। 10. भारत सरकार महकमा कस्टोडियन जरिये तहसीलदार, डीडवाना

दावा बाबत

घोषणा खातेदारी, स्थाई निषेधाज्ञा एवं रद्द करार देने डिक्री राजस्व मुकदमा नम्बर 268/14 बअनुवान–लूणाराम बनाम राजस्थान सरकार निर्णय दिनांक 24.03.2015

उपस्थित–

1. श्री महेन्द्र खिलेरी, अधिवक्ता वादी
2. श्रीमति संतोष जाजू, अधिवक्ता प्रतिवादी सं. 1
3. तहसीलदारजी, डीडवाना प्रतिवादी सं. 9 व 10

–:: निर्णय ::–

दिनांक **20.06.2017**

वाद के तथ्य संक्षेप्त में इस प्रकार है कि वादी ने इस न्यायालय में एक राजस्व वाद बाबत घोषणा खातेदारी, स्थाई निषेधाज्ञा एवं रद्द करार देने डिक्री राजस्व मुकदमा नम्बर 268/14 बअनुवान–लूणाराम बनाम राजस्थान सरकार निर्णय

सहायक कलक्टर
डीडवाना

Scanned by CamScanner

राजस्व–वाद, संख्या–2017/30
दायर दिनांक 10.02.2017 निर्णय दिनांक 20.06.2017
कानाराम बनाम लूणाराम, वगैरा।

दिनांक 24.03.2015 हेतु पेश किया गया कि साकिब खेत ख.न. 281 रकबा 23 बीघा 5 बिश्वा, ख.न. 297 रकबा 11 बीघा 7 बिश्वा व ख.न. 298 रकबा 80 बीघा 15 बिश्वा कुल रकबा 115 बीघा 8 बिश्वा वाके सरहद डीडवाना संवत 2017 तक मूला व हरचन्दा बेटा मानारा जातिरा गुर्जर बासी डीडवाना की खातेदारी व कब्जा काश्त के रहें जिसमें खातेदार मूला का संभावित 1/2 भाग व खातेदार हरचन्दा का 1/2 भाग था। वाद के पद संख्या 1 में वर्णित साकिब खेत ख.न. 298 रकबा 80 बीघा 15 बिश्वा के वक्त सेटलमेन्ट के नया ख.न. 534 रकबा 27 बीघा, 580 रकबा 9 बीघा 15 बिश्वा, 581 रकबा 15 बीघा 13 बिश्वा, 582 रकबा 22 बीघा 4 बिश्वा व 579 रकबा 8 बीघा 11 बिश्वा बने। इन खसरा नम्बरान की भूमि की खातेदारी राजस्व विभाग के कर्मचारियों की गलती से महकमा कस्टोडियन विभाग के नाम से गलत अंकित कर दी गई जबकि स्व. मूला व स्व. हरचन्दा गुर्जर अथवा उनके वारिसान कभी भी भारत छोड़कर पाकिस्तान नहीं गये। वक्त सेटलमेन्ट के ख.न. 534 रकबा 27 बीघा के काबिज काश्त कारान के दौरान ए.आर.ओ. के समक्ष इस खसरा की खातेदारी के बाबत मुकदमा संख्या 3795/66 दर्ज करवाया जिसके निर्णय दिनांक 31.01.1967 को इसकी खातेदारी कस्टोडियन से हटाकर काबिज काश्तकार चतरा जेठा पिता हरदेव गुर्जर के नाम से तथा ख.न. 580 रकबा 9 बीघा 15 बिश्वा की खातेदारी मुकदमा न. 122 के निर्णय दिनांक 08.08.1962 को लाला पुत्र हरचन्द के नाम ख. न. 581 रकबा 15 बीघा 13 बिश्वा की खातेदारी बुधा पुत्र हरचन्द के नाम व ख. न. 582 रकबा 22 बीघा 4 बिश्वा की खातेदारी जंवारा पुत्र मूला के नाम से अंकित कर दी गई । शेष ख. न. 579 रकबा 8 बीघा 11 बिश्वा जो कि हरचन्दा के पुत्र मुकनाराम के बंट व कब्जा–काश्त का रहा कि खातेदारी कस्टोडियन विभाग के नाम से ही गलत अंकित रही।

वादी ने अपने वाद के अनुतोष में निर्णय दिनांक 24.03.2015 की डिक्री निरस्त करने व ख.न. 579 रकबा 8 बीघा 11 बिश्वा भूमि वादी व प्रतिवादीगण सं. 2 ता 8 के नाम घोषित किये जाने व साथ ही स्थाई निषेधाज्ञा पारित किये जाने की प्रार्थना की।

वाद को दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया।

प्रतिवादी संख्या 1 लूणाराम ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से एक प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया जिसमें यह बताया कि प्रतिवादी लूणाराम द्वारा श्रीमानजी के समक्ष रिकार्ड दुरूस्ती व घोषणा खातेदारी का एक वाद किया गया जो माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा समस्त तथ्यों का विवेचन करते हुए दावा वापिस रिमाण्ड किया गया जिसपर श्रीमानजी द्वारा अपने निर्णय के बिन्दु संख्या 4 में समस्त तथ्यों को स्पष्ट कर दिया। दिनांक 24.03.2015 को श्रीमानजी के द्वारा यह वर्णित कर दिया कि हरचन्दा के वारिसान का कोई भी हक व अधिकार नहीं है। दिनांक 08.08.1962 को ख.न. 579 का सेटलमेन्ट विभाग द्वारा जंवारा पुत्र मूलाराम के नाम खातेदारी में दर्ज हो गया तथा पक्षकारान का पारिवारिक बंटवारा हो चुका इस तथ्य को भी श्रीमानजी के द्वारा वर्णित कर दिया गया। उक्त मिसल में वादी के दादा हरचन्द द्वारा ही आवेदन प्रस्तुत किया गया था। मुकनाराम के वारिसान के द्वारा राजस्व अपील अधिकारी नागौर के समक्ष भी अपील में पक्षकार बनने का प्रार्थना पत्र पेश किया गया जो खारिज कर दिया गया था। अब वादी मुकनाराम का

सहायक कलक्टर
डीडवाना

Scanned by CamScanner

राजस्व–वाद, संख्या–2017/30
दायर दिनांक 10.02.2017 निर्णय दिनांक 20.06.2017
कानाराम बनाम लूणाराम, वगैरा।

वारिस बनकर वाद पेश कर रहा है और प्रतिवादी सं. 2 ता 8 के नाम भी खातेदारी घोषित करवाना चाहता है। जबकि न्यायालय के द्वारा पूर्व में भी प्रार्थना–पत्र खारिज कर दिया गया। इसलिए वादी को भी उक्त वाद करने का कोई भी अधिकार नहीं रहा। दिनांक 24.03.2015 का श्रीमानजी का निर्णय है डिकीदार द्वारा 20.12.2016 को श्रीमानजी के समक्ष इजराय की कार्यवाही चल रही है जब श्रीमानजी के द्वारा दावे का निर्णय किया जा चुका है तो श्रीमानजी को उक्त खसरे बाबत वापिस सुनवाई का कोई भी अधिकार नहीं है। वादी ने उक्त दावा झूंठा व गलत तथ्यों पर आधारित पेश किया है तथा दावे के व अस्थाई व्यादेश के साथ गलत व झूंठा शपथ–पत्र पेश किया है इसलिए वादी के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही की जावे। वादी को पता है कि उक्त खसरे का बंटवारा हो चुका है तथा दावा भी डिक्री हो चुका है। वादी ने जानबूझकर प्रतिवादी के पिता व पति का नाम भी मुकनाराम की जगह तारूराम लिखा है। प्रतिवादी को तंग व परेशान करने के लिए उक्त दावा किया गया है। इसलिए हर्जाने के 50,000/–रूपये प्रतिवादी को वादी से दिलवाये जावें ताकि भविष्य में न्यायालय को धोखा देकर किसी भी प्रकार की रिलीफ प्राप्त नहीं कर सके।

अतः प्रार्थना–पत्र पेश कर निवेदन है कि वादी का वाद सव्यय खारिज किया जावे।

अपने कथनों के समर्थन में प्रतिवादी संख्या 1 ने मय फेहरिस्त दस्तावेजात पेश किये जो शामिल मिसल किये गये।

प्रतिवादी द्वारा पेश उपरोक्त प्रार्थना–पत्र का वादी द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया अपितु सीधी बहस की गई। दोनो पक्षों की बहस सुनी गई। प्रतिवादी की बहस अपने प्रार्थना–पत्र व पेश दस्तावेजों पर आधारित थी एवं वादी ने अपनी बहस में यही कहा कि उक्त विवादित खसरा पारिवारिक बंट में उसके हिस्से–पांति में आया हुआ है।

बहस पर मनन किया गया। सम्पूर्ण पत्रावली व पेश दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। जिसके बाद में हम निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि मिसल न. 122/62 ए.आर. ओ. पत्रावली पेश की है जिनमें पारिवारिक बंटवारे का सम्पूर्ण विवरण दिया हुआ है। उक्त विवादित भूमि के नये खसरे नम्बर ही नहीं बल्कि खातेदारी में दर्ज सभी पुराना खसरा नम्बर भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा महकमा कस्टोडियन में दर्ज कर दिये थे लेकिन वादी के पूर्वजों द्वारा आपत्ति उठाये जाने पर मिसल न. 122/62 में सभी खसरे वापिस खातेदारी में दर्ज हो गये। उक्त मिसल के **फेसले दिनांक 08.08.1962 में 579 नम्बर खसरा को भी सेटलमेन्ट विभाग ने जंवारा पुत्र मूला के नाम खातेदारी में दर्ज होना स्पष्ट माना है।** लेकिन राजस्व विभाग की भूल से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज होना रहा गया था। उक्त खसरा नम्बर पारिवारिक बंटवारे में जंवारा पुत्र मूला के हिस्से–पांति को होने का दिनांक 08.08. 1962 को स्पष्ट उल्लेख किया गया है। उक्त मिसल का प्रार्थना–पत्र भी हरचन्दा के द्वारा दिनांक 22.04.1962 को पेश किया गया था इसलिए उक्त मिसल से यह स्पष्ट प्रमाणित हो जाता है कि उक्त विवादित ख. न. 579 पारिवारिक बंटवारे में जंवारा पुत्र मूला के हिस्से–पांति में आया हुआ है एवं वादी कानाराम द्वारा अपने वाद में स्वयं के बंटवारे में आने का जो कथन किया गया है वह पूर्णतया गलत है।

सहायक कलक्टर
बीछवाना

Scanned by CamScanner

राजस्व–वाद, संख्या–2017/30
दायर दिनांक 10.02.2017 निर्णय दिनांक 20.06.2017
कानाराम बनाम लूणाराम, वगैरा।

वादी द्वारा अपने वादपत्र के साथ खसरा पत्रक सम्वत 2017 की प्रमाणित प्रतिलिपि पेश की है। जिसमें विवादित खसरा में कृषक एवं खातेदार के नाम में जंवारा वल्द मूला का स्पष्ट उल्लेख किया गया है। इसलिए वादी का उक्त खसरा अपने बंट में आने व कब्जा काश्त का होने का कथन सही नहीं है।

इस विषय में राजस्व अपील अधिकारी नागौर के यहां दिनांक 18.07.2011 को एक प्रार्थना–पत्र आदेश 1 नियम 10 व धारा 151 सी.पी.सी. का हरचन्दा के वारिसान मुकनाराम की पत्नी सोहनी व अन्य द्वारा पेश किया गया था जिसे न्यायालय श्रीमान ने सुनवाई के उपरान्त दिनांक 07.12.2011 को खारिज कर दिया था। जिसकी कोई भी अपील हरचन्दा के वारिसान द्वारा नहीं करने के कारण उक्त आदेश उनके विरूद्ध अंतिम आदेश है। जिससे वादी कानाराम भी मुकनाराम का वारिस होने से विबन्धित है।

स्वर्गीय मानाराम के मूलाराम, हरचन्दा एवं हरदेव कुल तीन पुत्र थे जिनको वादी ने न्यायालय से छुपाकर उक्त वाद–पत्र पेश किया है। उक्त हरदेव को वादी ने वंश वृक्ष में नहीं बताकर माननीय न्यायालय को गुमराह किया है ऐसा करने का वादी को कोई अधिकार नहीं है। मिसल नम्बर 122/1962 में एवं अन्य मिसल संख्या 3795/66 में इसी अनुरूप तीनों भाईयों को आपसी रजामंन्दी से पुराने खेत खसरा नम्बरों से बने समस्त नये खसरों का बंटवारा किया गया है जिसमें खसरा नम्बर 534 रकबा 27 बीघा रतना जेठा पिता हरदेव (जो पुराना खसरा नम्बर 298 से बना है) को दिया गया था। खसरा न. 580 रकबा 9 बीघा 15 बिश्वा लाला वल्द हरचन्दा, खसरा नम्बर 581 रकबा 15 बीघा 13 बिश्वा बुधा वल्द हरचन्दा (जो पुराना खसरा नम्बर 298 से बना है), खसरा नम्बर 579 रकबा 8 बीघा 11 बिश्वा व खसरा नम्बर 582 रकबा 22 बीघा 04 बिश्वा जंवारा वल्द मूला (जो पुराना खसरा नम्बर 298 से बना है) इस तरह पुराना खेत खसरा न. 298 रकबा 80 बीघा 15 बिश्वा का आपसी रजामन्दी से पारिवारिक बंटवारा किया गया है। **उक्त दोनों मिसलें हरचन्दा, जंवारा एवं हरदेव के वारिस रतना द्वारा अपने हस्ताक्षरों से दर्ज करवाई हुई है** इसलिए यह कतई मानने योग्य नहीं है कि उक्त विवादित खेत खसरा नम्बर 579 पारिवारिक बंटवारे में कानाराम पुत्र मुकनाराम एवं प्रतिवादी सं. 2 ता 8 के बंट में आई हुई या उसके कब्जा–काश्त की है। मानाराम के 3 पुत्र होने के बावजूद दो पुत्रों का ही उल्लेख वादी द्वारा किया गया है जो गलत है एवं वादी स्वच्छ दामन से माननीय न्यायालय के समक्ष वाद लेकर नहीं आया है एवं न्यायालय को गलत तथ्य वर्णित कर गुमराह करने की कोशिश कर रहा है।

इसलिए इस न्यायालय के राजस्व वाद संख्या 2014/268 जिसका निर्णय दिनांक 24.03.2015 को किया गया था। जिसमें प्रतिवादी सं. 1 लूणाराम पुत्र जंवाराराम के पक्ष में खातेदारी की घोषणा कर डिक्री जारी की गई थी एवं स्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार की गई थी। उक्त डिक्री व निर्णय में उक्त विवादित तथ्यों की सम्पूर्ण विवेचना कर निर्णय पारित किया गया है। अतः दिनांक 24.03.2015 को मुकदमा न. 268/2014 में पारित निर्णय व डिक्री को रद्द करार देने का इस न्यायालय को किसी भी तरह का कोई अधिकार नहीं है तथा दिनांक 20.12.2016 से इसी न्यायालय में उक्त डिक्री की पालना बाबत इजराय की कार्यवाही चल रही है जिसमें भी तहसीलदार पक्षकार हैं।

सहायक कलक्टर
डीडवाना

Scanned by CamScanner

राजस्व–वाद, संख्या–2017/30
दायर दिनांक 10.02.2017 निर्णय दिनांक 20.06.2017
कानाराम बनाम लूणाराम, दगैरा।

उपरोक्त समस्त विवेचना से वाद वादी खारिज किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें।

–:: आदेश ::–

प्रतिवादी का सम्पूर्ण प्रार्थना–पत्र स्वीकार कर वादी का वाद बाबत खेत खसरा नम्बर 579 रकबा 8 बीघा 11 बिश्वा वाके मौजा मण्डाबासनी, डीडवाना "घोषणा खातेदारी, स्थाई निषेधाज्ञा एवं रद्द करार देने डिकी राजस्व मुकदमा नम्बर 268/2014 बअनुवान–लूणाराम बनाम राजस्थान सरकार निर्णय दिनांक 24.03.2015 के अनुतोष हेतु" पेश किये गये वाद को खारिज किया जाता है।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

निर्णय आज दिनांक 20.06.2017 को न्याय आपके द्वार कैम्प कोर्ट गोदरास में सुनाया गया।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

Scanned by CamScanner

डिगरी बमुकद्दमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालतः– सहायक कलक्टर, डीडवाना
बइजलास : श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.

राजस्व वाद संख्याः 2017/30 दायर दिनांक 10.02.2017

वादी		प्रतिवादीगण
1. कानाराम पुत्र मुकनाराम, जाति–गुर्जर, निवासी–डीडवाना, जिला–नागौर (राजस्थान)	बनाम्	1. लूणाराम पुत्र श्री जंवाराराम वगैराह समस्त जाति–गुर्जर, निवासी–गुर्जरों का बास, डीडवाना।

दावा बाबत
घोषणा खातेदारी, स्थाई निषेधाज्ञा एवं रद्द करार देने डिक्री राजस्व मुकदमा नम्बर 268/14 बअनुवान–लूणाराम बनाम राजस्थान सरकार निर्णय दिनांक 24.03.2015

दिनांक 20.06.2017

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई महेन्द्र खिलेरी, अधिवक्ता, वादि व श्रीमती सन्तोष जाजू अधिवक्ता प्रतिवादी सं0 01 की ओर से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि प्रतिवादी का सम्पूर्ण प्रार्थना–पत्र स्वीकार कर वादी का वाद बाबत खेत खसरा नम्बर 579 रकबा 8 बीघा 11 बिश्वा वाके मौजा मण्डावासनी, डीडवाना "घोषणा खातेदारी, स्थाई निषेधाज्ञा एवं रद्द करार देने डिक्री राजस्व मुकदमा नम्बर 268/2014 बअनुवान–लूणाराम बनाम राजस्थान सरकार निर्णय दिनांक 24.03.2015 के अनुतोष हेतु" पेश किये गये वाद को खारिज किया जाता है। डिक्री पर्चा जारी हो।

नीज.....–..... मुबलिंग.....–..... बाबत.....–.....खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह.....–..... आज की तारीख को अदा करें। बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज की तारीख **20.06.2017** को न्याय आपके द्वार कैम्प गोदरास में जारी की गयी।

सहायक कलक्टर
डीडवाना

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक	– –		स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक		
मिजान			मिजान		

नोटः–इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलक्टर
डीडवाना

Scanned by CamScanner